कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

–::: कार्यालय आदेश :::–

स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इण्डिया(एस0जी0एफ0आई)के पत्रांक एस.जी.एफ. आई/0628/17–18/दिनांक 10.08.17 के द्वारा सत्र 2017–18 से राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में विभिन्न आयु वर्गो में कक्षा की बाध्यता को समाप्त किये जाने के कारण सत्र 2017–18 के लिये जिला एवं राज्य स्तरीय विधालयी खेलकूद प्रतियोगिता(आयु वर्ष –14 छात्र–छात्रा)हेतु प्रसारित इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश कमांक शिविरा/प्रारं/खेकू/स्वशि/7509/पंचाग/2017–18/129–136 दिनांक 17.07.17 में एवं विभागीय नियमावली एवं मार्गदर्शिका 2009–10 के बिन्दु संख्या 09 के 9.1.4.1 में निम्नानूसार आंशिक संशोधन किया जाता है:–

01. 14 वर्ष की छात्र–छात्रा आयु वर्ग में कक्षा 03 से 05 तक के छात्र–छात्रा जिला/राज्य स्तर तक पूर्व की भॉति भाग ले सकेगें, लेकिन कक्षा 06 से नीचे कि कक्षा के विधार्थी राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिता में भाग नही ले सकेगें, कक्षा 06 से उपर की कक्षा के लिये किसी प्रकार की बाध्यता नही होगी ।

02. 14 वर्ष छात्र–छात्रा प्रतियोगिता(जिला/राज्य/राष्ट्रीय स्तर)में खिलाडी के आयु प्रमाण–पत्र हेतु निम्नांकित प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने अनिवार्य है –

(अ) आधार कार्ड/पासपोर्ट(दोनो मे से एक)
(ब) जन्म प्रमाण–पत्र(पंचायत समिति,नगर पालिका,नगर निगम द्वारा जारी)
(स) गत वर्ष की उतीर्ण कक्षा के अंकतालिका/प्रमाण–पत्र

यदि किसी विधार्थी द्वारा उपरोक्तानुसार प्रमाण–पत्र प्रस्तुत नही किये जाते है, तो उसको संबंधित प्रतियोगिता जिला/राज्य/राष्ट्रीय स्तर में भाग लेने के लिये अपात्र किये जाने का अधिकार सक्षम अधिकारी के क्षेत्राधिकार में होगा ।

अतः इस संबंध में समस्त जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान को आदेशित किया जाता है कि वे अपने अधिनस्थ विधालयो के लिये पूर्व में प्रसारित पंचाग में संशोधित आदेश अविलंब प्रसारित करें ।

निदेशक
प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

www.rajteachers.com